भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
*****

न्यायिक सुधारों पर कार्रवाई अनुसंधान और अध्ययन के लिए विषयों की सूची

न्यायिक सुधारों पर कार्रवाई अनुसंधान और अध्ययन के तहत प्रस्तावों स्वीकृति समिति द्वारा केवल विषयों की इस सूची पर ही विचार किया जाएगा । संभावित एसेंसियों को केवल विषयों की इस सांकेतिक सूची का पालन करना चाहिए । यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चयनित एजेंसी को एक समय में केवल एक ही परियोजना आवंटित की जायगी ।

28 फरवरी 2023 को संशोधित विषयों कि सूची इस प्रकार है :

1. लंबन को कम करना

क्रं.सं.	प्रस्तावित विषय
1	सूची अंतिम निपटान के लिए गति बढ़ाने के लिए निर्णय देने और डिक्री देने की प्रक्रिया के साथ डिक्री के निष्पादन की प्रक्रिया को एकीकृत करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करना ।
2	दोहराव को रोकने और क्षेत्राधिकार में अस्पष्टाताओं को रोकने के लिए अभियोजना और अधिनिर्णय के लिए मौजूदा संस्थागत संरचनाओं के साथ नई पीढ़ी के कानून को एकीकृत करने के संबंध में कमजोरियों का अध्ययन करना ।
3	न्याय की प्रभवी प्रदायगी के लिए आपराधिक अदालतों में अभियोजना प्रणाली की प्रभावशीलता में सुधार पर अध्ययन करना ।
4	अधीनस्थ न्यायाधीशों की सेवाओं का उपयोग करके या अन्यथा मामलों के निपटान में दक्षता में सुधार के लिए निचली न्यायपालिका में कई बदलाव करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करना ।
5	न्यायपलिका में रिक्तियों की रिपोर्टिंग और रिक्तियों को भरने मे बाधाओं की पहचान करने और उपयुक्त उपचरतमक उपायों का सुझाव देने के लिए अध्ययन करना **।**
6	न्यायालयों में 20/30 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों पर अनुभवजन शोध ऐसे मामलों के निपटान में इतनी लंबी देरी के कारणों को उजागर करने और प्रलेखित करने के लिए केस रिकॉर्ड के साथ –साथ राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड प्रत्यक्ष सत्यापन भी शामिल है।
7	न्यायपालिका के सभी स्तरों के लिए सर्वोतम प्रथाओं के सुझाव देने की दृष्टि से मामला निपटान समय – सीमा / मामला निपटान दर के तुलनात्मक अध्ययन / सांख्यिकीय विश्लेषण ।
8	न्याय प्रदायगी के लिए मानक निर्धारित करने के लिए अदालतों मे केस संस्थापन और निपटान प्रवृत्तियों की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी – संचालित ढांचे का विकास करना ।
9	मामलों के समय पर निपटान के लिए वैकल्पिक परीक्षण मॉडल पेश करने के लिए कार्रवाई अनुसंधान अध्ययन ।
10	लंबित मामलों को कम करने की दृष्टि से प्रक्रिया में एकरूपता के लिए सिविल न्यायालयों के लिए बेंच बुक्स पेश करने के लिए कार्यवाई अनुसंधान अध्ययन ।

[1]दिल्ली न्यायिक अकादमी द्वारा "वर्तमान चालू परियोजना" मामलों के निपटान में देरी के कारणों की पहचान करने और दिल्ली के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लाबित मामलों के प्रबंधन के लिए क्षमता अंतर का मूल्यांकन करने के लिए ।

[2] नियुक्ति विभाग के इनपुट :

अदालतों में लंबित मामले न केवल उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी का कारण हैं , बल्कि विभिन्न कारकों के कारण भी हैं जैसे (I) राज्य और केंद्रीय कानूनों की बढ़ती संख्या, (ii) प्रथम अपीलों का संचय, (iii) सामान्य नागरिक अधिकार क्षेत्र का जारी रहना कुछ उच्च न्यायालयों में,(iv) उच्च

न्यायालयों में जाने वाले अर्ध –न्यायिक मंचो के आदेशों के खिलाफ अपील ,(v) पुनरीक्षण / अपील की संख्या , (vi) बार -बार स्थगन, (vii) रिट अधिकार क्षेत्र का अंधाधुंध उपयोग और (viii) सुनवाई के लिए मामलों की निगरानी , ट्रैक और बंचिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था के अभाव , (ix) न्यायालयों मे लंबी छुट्टियाँ और (x) न्यायाधीशों को प्रशासनिक प्रकृति के कार्य सौंपना ।

2. प्रक्रियात्मक क़ानूनों में सुधार

क्रं.सं.	प्रस्तावित विषय
11	आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी क्षेत्रों अर्थात जांच , अभियोजना और परीक्षण में प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए उपाय निकालना ;
12	आपराधिक मुकदमों के शीघ्र निष्कर्ष को प्रभवित करने वाले प्रक्रियात्मक कानूनों में प्रमुख बाधाओं और ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक उपायों पर अध्ययन ।
13	जेल सुधार सहित आपराधिक न्याय प्रणाली में 'प्ली बार्गनिंग' योजना के प्रभाव की समीक्षा, इसकी बढ़ाएं और चुनौतियां तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाना ।
14	मौजूदा गवाह सुरक्षा योजनाओं का आकलन ; उनके प्रभाव और अपेक्षित परिवर्तन
15	आपराधिक कानूनों में 2013 के सशोधनों के प्रभाव को मापना ।
16	अपराध की विभिन्न श्रेणियों के पीड़ितों का अध्ययन और अधिनिर्णयन प्रक्रिया के साथ उनका अनुभव ।
17	दीवानी और फ़ौजदारी मामलों के अधिनिर्णयन की अंतराष्ट्रीय तुलना
18	चुनिंदा मामलों मे 'गिरफ्तारी कानून ' के कार्यान्वयन का एक अनुभवजन्य अध्ययन

3. न्यायिक सुधारों के लिए आईसीटी का उपयोग

क्रं.सं.	प्रस्तावित विषय
19	न्याय प्रदान करने के लिए आईसीटी के उपयोग से जुड़े कानूनी सुधार की आवश्यकता का आकलन करना ।
20	न्यायिक जागरूकता के लिए सोश्ल मीडिया और मोबाइल प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावना और चुनौतियों का आकलन करना ।
21	गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के बारे में धारणा पर अदालतों के कम्प्युटरीकरण और अदालती कार्यवाई की ऑडिओ – विडियो रिकॉर्डिंग के प्रभाव का विश्लेषण करना । यह परियोजना भारत के उच्चतम न्यायालय की ई- समिति के अनुमोदन के अधीन होगी ।
22	न्यायिक प्रणाली में आईसीटी को अपनाने और उपयोग में सुधार के लिए नीतियों की सिफ़ारिश करने के लिए अध्ययन ।
23	"कागज़ रहित अदालतें" न्याय प्रदायगी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए न्याय प्रदायगी को प्रभावित किए बिना जब कभी संभव हो, पेपर दस्तावेजो को बदलने की व्यहार्यता का अध्ययन करना ।
24	भारत में शुरू की गई ई – फाइलिंग की प्रार्यप्रणाली पर व्यापक अध्ययन
25	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आयोजित सुनवाई की प्रभावशीलता पर अध्ययन । अध्ययन में उन विशेषताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए जो सुनवाई को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वीसी सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए
26	वीसी मोड का उपयोग करके किए जा रहे परीक्षणों की प्रभावशीलता : क्या अदालतें प्रभावी जिरह आदि करने में सक्षम हैं। वीसी मोड का उपयोग करके

4. फास्ट – ट्रैक कोर्ट

क्रं.सं.	प्रस्तावित विषय
27	अंडर – ट्रायल के संबंध में न्याय विभाग फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना प्रभावशीलता
28	भारत में फास्ट ट्रैक – न्यायालयों का प्रभाव आकलन ।
29	यौन अपराधों की घटनाओं की जाँच में फास्ट – ट्रैक न्यायालयों की प्रभावितलता
30	सबसे अच्छे और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में एफ़टीएससी द्वारा सुने गए और निपटान गए मामलों का एक तुलनात्मक अध्ययन । अध्ययन में अपनाई जा रही सर्वोतम प्रदेतीय को इंगित करना चाहिए ताकि धीमे राज्यों द्वारा उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उनका उपयोग किया जा सके ।
31	बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के मामलों से निपटने में नियमित न्यायलयों की तुलना में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की प्रभावशीलता

5. वाणिज्यिक न्यायालय

क्रं.सं.	प्रस्तावित विषय
32	भारत में अनुबंधों को लागू करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए संशोधित वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की प्रभावशीलता [3]
33	यथासंशोधित वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम , 2015 के कार्यान्वयन और उद्देश्यों की प्राप्त करने में आने वाली अड़चने । [4]
34	देश में समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों के कामकाज पर अध्ययन और दिल्ली और मुंबई में वाणिज्यिक अदालतों पर विशेष ध्यान देना ।
35	देश में समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों के कामकाज पर अध्ययन और सुधार के लिए सुझाव ; तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे पर विशेष ध्यान देना

6. फरमानों का प्रवर्तन

क्रं.सं.	प्रस्तावित विषय
36	डिक्री के प्रवर्तन पर समय और गति अध्ययन और न्यायिक देरी को कम करने के तरीके
37	उन मामलों पर एक अध्ययन जहां फरमानों के प्रवर्तन में देरी होती है

7. न्याय तक पहुंच

क्रं.सं.	प्रस्तावित विषय
38	**न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में प्रो –बोनो लॉयरिंग की भूमिका**
39	न्याय विभाग द्वारा संबंधित हितधारकों के साथ उठाए जाने वाले हस्तक्षेप और भागीदारी के विषयगत क्षेत्रों का आकलन और पहचान करना और न्याय तक पहुंच पर वर्ष 2030 के एजेंडा लक्ष्य 15 के साथ दिशा को सुसंगत बनाने वाली कार्य योजना तैयार करना । [7]

[3] चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटि, पटना द्वारा वर्तमान चालू परियोजना " बिहार और झारखंड राज्य में लंबित वाणिज्यक मुकदमों के संदर्भ में वाणिज्यकन्यायालय अधिनियम, 2015 का प्रभाव मूल्यांकन "

[4] नेशनल लॉ यूनिवर्सिटि दिल्ली द्वारा वर्तमान चालू परियोजना " द कमर्शियल कोर्ट गाइड (इंडिया)2021 "

[5] दामोदरम संजीवय्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटि, विशाखापत्तनम द्वारा वर्तमान चल रही परियोजना " ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए भारत के दक्षिणी क्षेत्र में वाणिज्यक न्यायालयों के कामकाज पर एक अध्ययन"।

[6] हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटि द्वारा चल रही परियोजना " न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में प्रो – बोनो लॉयरिंग की भूमिका: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के विशेष संदर्भ के साथ के अध्ययन"।

क्रं.सं.	प्रस्तावित विषय
40	जिला और अधीनन्स्थ न्यायालयों में न्याय और वादिगणों के अधिकारों तक पहुंच [8]वादी वे लोग हैं जिनकी जरूरतों को मुख्य रूप से पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि न्यायालयों का अस्तित्व उनके लिए है। यह पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया जा सकता है की निचली अदालतों में वादिगणों को निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं उनकी स्थिति क्या है। इस प्रयोजन के लिए, कुछ बड़े न्यायलय परिसरों पर शोध किया जा सकता है। 1. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर – कोर्ट वैबसाइट, ईकोर्ट्स और मोबाइल एप्लिकेशन । 2. न्यायिक परिसर में न्यायिक सेवा केंद्र की उपलब्धता, इसकी कार्यप्रणाली, सूचना के डिजिटल प्रदर्शन की गुणवत्ता और प्रबंधन करने वाले व्यक्ति का ज्ञान और व्यवहार 3. शौचालयों की उपलब्धता और रखरखाव 4. दिव्यांगजनों के लिए मूल्यांकन बिन्दु कितने अनुकूल हैं। 5. पीने का पानी, परिसर के अंदर रोशनी 6. वादियों के बैठने की व्यवस्था के साथ प्रतिक्षालय 7. संकेतकों, मानचित्रों, दिशाओं आदि का प्रावधान। 8. परिसर के अंदर सुरक्षा । 9. वकीलों के लिए चैंबर की उपलब्धता 10. लिफ्ट और रैंप
41	टेली –लॉ के माध्यम से विधिक सलाह और परामर्श की प्रभाशीलता और सुधार के लिए सिफ़ारिशें ।"

[7]नेशनल लॉ यूनिवर्सिटि, दिल्ली द्वारा वर्तमान में चल रही परियोजना " विशिष्ट राज्यों में चुनिंदा जेलों में विचाराधीन कैदियों के लिए न्याय तक पहुंच की प्रभाशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक फील्ड अध्ययन"।

[8] नेशनल लॉ यूनिवर्सिट , दिल्ली द्वारा वर्तमान चालू परियोजना " बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से न्याय के वितरण का मूल्यांकन करने के लिए अनुभवन्य अध्ययन"।

[9]नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली द्वारा वर्तमान में चल रही परियोजना "बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से न्याय के वितरण का मूल्यांकन करने के लिए अनुभवजन्य अध्ययन"।

8. विविधि

क्रं.सं.	प्रस्तावित विषय
42	सजा देने के क्षेत्राधिकार के प्रयोग में बाधाओं की पहचान करने के लिए आपराधिक पदानुक्रम में विभिन्न अदालतों द्वारा सजा देने की शक्ति के उपयोग का अध्ययन करना
43	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता
44	महिलाओं के प्रति अपराध
45	कानून के साथ संघर्ष में बच्चे
46	मानव तस्करी

******